Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 165–2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022 (BHADRA 18, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2022

संख्या 8/29/2022–4CII.– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 87 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 8/5/2021–4CII दिनांक 5 मार्च, 2021, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 8/5/2021–4CII दिनांक 8 अप्रैल, 2021 तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 8/5/2021–4CII दिनांक 15 जुलाई, 2021, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि –

(i) नगर निगम, गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद की भीतरी सीमाओं को छोड़कर, उक्त खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखत के रूप में राज्य में प्रत्येक नगर निगमों की सीमाओं के भीतर अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क, हरियाणा राज्य में तत्समय यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, दो प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त शुल्क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा उक्त दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संगृहीत किया जाएगा। इस प्रकार संगृहीत ऐसे शुल्क का एक प्रतिशत उस सम्बन्धित नगर निगम को भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसी अचल सम्पत्ति अवस्थित हैं और शेष एक प्रतिशत हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड को भुगतान किया जाएगा;

(ii) उक्त खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किस्म की प्रत्येक लिखत के रूप में नगर निगम, गुरूग्राम, मानेसर और फरीदाबाद की सीमाओं के भीतर अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर शुल्क, हरियाणा राज्य में तत्समय यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त, एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत किया जाएगा और उक्त शुल्क, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार द्वारा उक्त दस्तावेजों के पंजीकरण के समय पर संगृहीत किया जाएगा और उस सम्बन्धित नगर निगम को भुगतान किया जाएगा।

अरूण गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 9th September, 2022

No. 8/29/2022-4CII.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of section 87 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in supersession of Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 8/5/2021-4CII dated the 5th March, 2021, Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 8/5/2021-4CII dated the 8th April, 2021 and Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 8/5/2021-4CII dated the 15th July, 2021, the Governor of Haryana, hereby directs that –

(i) the duty on transfer of immovable property situated within the limits of each Municipal Corporation in the State except within the limits of Municipal Corporation of Gurugram, Manesar and Faridabad by way of every instrument of description specified under the said clause (c) shall be at the rate of two per centum in addition to duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), as in force for the time being in the State of Haryana and the said duty shall be collected at the time of registration of the said documents by the Registrar or the Sub-Registrar under the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899).One per centum of duty so collected shall be paid to the respective Municipal Corporation within whose jurisdiction such immovable property is situated and remaining one per centum shall be paid to the Haryana Urban Infrastructural Development Board;

(ii) the duty on transfer of immovable property situated within the limits of the Municipal Corporation of Gurugram, Manesar and Faridabad by way of every instrument of description specified under the said clause (c) shall be levied at the rate of one per centum in addition to duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), as in force for the time being in the State of Haryana and the said duty shall be collected at the time of registration of the said documents by the Registrar or the Sub-Registrar under the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) and shall be paid to the respective Municipal Corporation.

ARUN GUPTA,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

9878—C.S.—H.G.P. Pkl.